

आयालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०- M 30 / 20.19

धारा-107 द०प्र०सं०

T.P

झारखण्ड सरकार

बनाम सुषत महतो वगैरह


आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं दिपणी तारीख सहित
----------------------------	---------------------------------	---


अभिलेख सं०-एम. 30 / 20.19 में द०प्र०सं० की धारा-107 के तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अप्रथमिकी सं०- 10/19 दिनांक- 02/4/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि दिनांक 06/5/19 को लोकसभा चुनाव के अवसर पर शांति भंग होने की सम्भावना है।

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

अभिलेख तिथि 10/04/19 को उपस्थापित करें।
लेखापित एवं संशोधित।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।


कार्यपालक दण्डाधिकारी,
बुण्डू (राँची)।

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई एवं दिव्यणी तारीख सहित

14-05-19

आमि लैरन उपस्थापित 1 दिव्य पत्र
उपस्थित 1 दिनांक 25-05-19 को शरी


14/05/19

25-05-19

आमि लैरन उपस्थापित 1 दिव्य पत्र
उपस्थित 1 लोक समा सुगाव 2019
शान्ति पूर्ण रूप से सम्पन्न हो
आतः वाद के आमि लैरन की कार्रवाई
बन्द की जाती है


25/05/19